

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/सामु.भवन/18-19/

दिनांक : 23/7/19

28955-65

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा।

विषय : सामुदायिक भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय निम्नांकित पत्रों द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृतियों जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या-8 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	सामुदायिक भवन निर्माण का स्थान	ग्रा.पं.	पंस.	प्रशा.स्वी. अनुसार		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बारादरी निर्माण महादेव मंदिर के पर छोटा खोरा	मकनपुरा	छोटी सरवन	10221-29 /23.02.19	5.00	AEN/PS/chhotisar van/02/22.05.19	5.00
2	बारादरी निर्माण रामदेव मंदिर के पर घाटीपाडा	मकनपुरा	छोटी सरवन	10221-29 /23.02.19	5.00	AEN/PS/chhotisar van/01/22.05.19	5.00
3	ग्राम काकनवानी में प्रताप हीरा भाई की आबादी	काकनवानी	कुशलगढ	16385-92 /14.05.18	5.00	JTA/PS/KUSHALGA RH/977 /14.09.18	5.00
					15.00		15.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय भारतीय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं- 78/18-19 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्त :-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर किया जावे। अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावे।
- कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।

6. निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।
7. कार्य गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

भवदीय

(विकास सीतारामजी भाले) I.A.S
आयुक्त

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा/सामु.भवन/18-19/
प्रतिलिपि-

दिनांक :

28955-65

23/7/19

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर बांसवाडा।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अर्न्तगत शासन की स्वीकृति सं- 78/18-19 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रू. 500.00 लाख मे से राशि रू. 15.00 लाख (अक्षरे पन्द्रह लाख) परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा को हस्तांतरित करे।
5. निदेशक मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति छोटी सरवन/कुशलगढ जिला बांसवाडा।
7. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड पत्रावली

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)